पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–11] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मार्च, 2010 ई0 (चैत्र 06, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–13

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	85–90	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	57–58	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	01–03	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	39–45	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

15 मार्च, 2010 ई0

संख्या 108/तीस–(1)/2010–21(2)/2007–श्री नारायण दत्त पाण्डे, डिप्टी कलेक्टर (निलम्बित) तत्कालीन उपजिलाधिकारी, बड़कोट, जिला उत्तरकाशी को वर्ष 2007 में श्री चन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री नौनिहाल सिंह, निवासी ग्राम–डण्डाल, थाना–बड़कोट, जिला–उत्तरकाशी से उसकी पैतृक सम्पत्ति के वसीयतनामे के आधार पर दाखिल खारिज करने की एवज में रु0–10,000/– उत्कोच ग्रहण करते हुए सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2007 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना–सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून में मु0 अ0 सं0–04/2007, धारा 7/13(1) डी सपठित धारा 13(2) भ्र0 नि0 अ0–1988 के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी, तदोपरान्त श्री पाण्डे को न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया। शासन के आदेश सं0 2113/XXX–1–2007–21(2)/2007, दिनांक 20 जुलाई, 2007 द्वारा श्री पाण्डे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/13 के अधीन अभियोजित करने तथा सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने हेतु अभियोजन पूर्व स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2–मा0 सेशन/विशेष न्यायाधीश, देहरादून द्वारा एस0 एस0 टी0 नं0–59/2007 राज्य बनाम नारायण दत्त पाण्डे में पारित निर्णय/आदेश, दिनांक 12–06–2009 द्वारा श्री पाण्डे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अन्तर्गत चार वर्ष का कठोर कारावास एवं पाँच हजार रुपये जुर्माना तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) सपठित धारा 13(2) के अन्तर्गत पाँच वर्ष का कठोर कारावास तथा रु0 10,000/– जुर्माने से दण्डित किया गया है।

3–चूंकि आपराधिक मामले में मा0 सत्र/विशेष न्यायालय के आदेश, दिनांक 12–06–2009 से श्री पाण्डे को दण्ड न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार सिद्धदोष किया गया है। अतः "भारत का संविधान, के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के द्वितीय परन्तुक के उपखण्ड (क) सपठित "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" के नियम 7 के उपनियम (बारह) के परन्तुक (एक) के अधीन श्री पाण्डे को आपराधिक आचरण के लिए दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के लिए जाँच करने की आवश्यकता नहीं है।

4–अतः श्री राज्यपाल सम्यक् विचारोपरान्त श्री नारायण दत्त पाण्डे को उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) से तत्काल प्रभाव से पदच्युत किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

राज्यपाल के आदेश से और उनकी ओर से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

श्री नारायण दत्त पाण्डे,
डिप्टी कलेक्टर (निलम्बित)।

चिकित्सा अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

15 मार्च, 2010 ई0

संख्या 199/xxviii–4(1)–2010–18/2004–अधिसूचना संख्या 1342/XXVIII(I)/2007–18/2004, दिनांक 31 अगस्त, 2007 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 52 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा0 पूजा भारद्वाज, निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड को उक्त नियमावली के भाग–16 के प्रयोजनों के लिये, उनके विद्यमान कर्तव्यों के अतिरिक्त सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य हेतु राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, वर्ष 2007–2008 के लिये नियुक्त किया गया था एवं शासनादेश संख्या 500/XXVIII–1/2008–18/2004, दिनांक 23–04–2008 एवं संख्या 212/XXVIII–1/2008–18/2004, दिनांक 20–03–2009 द्वारा क्रमशः वर्ष 2008–09

एवं 2009–10 के लिये कार्यकाल बढ़ाया गया था। उक्त के क्रम में राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी का कार्यकाल पुनः वर्ष 2010–11 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

केशव देसिराजु,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / पदोन्नति / समायोजन

15 मार्च, 2010 ई0

संख्या 284 / 2010 / 13(100) / XXVII(8) / 01–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 1009–10 में ज्वाइंट कमिश्नर, वेतनमान, रुपये 15600–39100 (ग्रेड वेतन–7600) के रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित चयनोपरान्त श्री विपिन चन्द्र को पदोन्नत करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, काशीपुर संभाग, काशीपुर के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2–उक्तानुसार पदोन्नति / तैनाती के पश्चात् रिक्त हो रहे डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1, रुड़की का कार्यभार शासन के अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त प्रभार के रूप में श्री राकेश वर्मा, डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–2, रुड़की को प्रदान किया जाता है।

3–उक्तानुसार प्रदान किये गये अतिरिक्त कार्य भार के लिए संबंधित अधिकारी को पृथक से कोई वेतन / भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

4–उक्तानुसार पदोन्नत / समायोजित अधिकारी तत्काल अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

अधिसूचना

10 मार्च, 2010 ई0

संख्या 322 / VIII / 45–श्रम / 2001–राज्यपाल साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 सपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14, वर्ष 1947) की धारा 33 ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित जारी की गई पूर्ववर्ती अधिसूचना का अधिक्रमण करके किसी धनराशि के सम्बन्ध में या ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में जिस पर लाभ की संगणना की जानी चाहिए, उक्त उपधारा के अधीन उत्पन्न प्रश्नों का विनिश्चय करने के लिए, जहां कोई कर्मकार, सेवायोजक से, यथास्थिति, कोई धनराशि या कोई लाभ जिसकी संगणना रुपये में की जा सके, प्राप्त करने का हकदार हो, नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित श्रम न्यायालयों को विनिर्दिष्ट करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त न्यायालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में उनके नाम के सम्मुख विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे :–

अनुसूची

क्र0सं0	श्रम न्यायालय का नाम	जिलों का नाम
1	2	3
1.	श्रम न्यायालय, हल्द्वानी	नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत तथा बागेश्वर
2.	श्रम न्यायालय, काशीपुर	ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ
3.	श्रम न्यायालय, देहरादून	देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चमोली तथा रुद्रप्रयाग
4.	श्रम न्यायालय, हरिद्वार	हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी।

आज्ञा से,

अजय सिंह नबियाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 322/VIII/45-Shram/2001**, dated Dehradun, March 10, 2010 for general information :

NOTIFICATION

March 10, 2010

No. 322/VIII/45-Shram/2001--In exercise of the powers conferred by section 21 of General Clauses Act, 1897 (Central Act no 10 of 1897) read with sub-section (2) of section 33-C of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act no. 14 of 1947) and in supersession of the previous notification issued in this behalf, the Governor is pleased to specify the labour courts mentioned in column 2 of the schedule given below to decide the question arisen under the said sub-section as to the amount of money due or as to the amount at which the benefit should be computed, where any workman is, entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of being computed in terms of money, as the case may be, and to direct that the said court shall exercise their jurisdictions within the areas specified against their names in column 3 of the said schedule :--

SCHEDULE

Sl. No	Name of the Labour Courts	Name of the Districts
1	2	3
1	Labour Court, Haldwani	Nainital, Almora, Champawat and Bageshwar
2.	Labour Court, Kashipur	Udhamsingh Nagar, Pithoragarh
3.	Labour Court, Dehradun	Dehradun, Pauri Garhwal, Chamoli and Rudraprayag
4.	Labour Court, Hardwar	Hardwar, Tehri Garhwal and Uttarkashi.

By Order,

AJAY SINGH NABIAL,
Secretary.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग

कार्यालय–ज्ञाप

15 मार्च, 2010 ई0

संख्या 127 / XXXVIII / 10–173 / 2005 (टी0सी0)–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्या : 411 / XXXVIII(1) / 06–173–वि0प्रौ0 / 2005, दिनांक 25 जुलाई, 2006 के अन्तर्गत 35 पदों तथा पत्र संख्या : 1426 / XXXVIII(1) / 06–173–वि0प्रौ0 / 2005, दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 के अन्तर्गत 01 पद (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) कुल 36 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, (U-SAC) की विभागीय संरचना के क्रम में जनसम्पर्क अधिकारी, वेतनमान रु0 6500–10500 के एक पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2–उक्त सृजित पदों पर उपरोक्त समसंख्यक अधिसूचना दिनांक : 25 जुलाई, 2006 में उल्लिखित शर्तें/व्यवस्थायें यथावत् लागू होंगी।

3–जनसम्पर्क अधिकारी के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता/योग्यतायें भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा निर्धारित मानकों एवं अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, उत्तराखण्ड द्वारा निरुपित नियमावली के तहत निर्धारित होंगी।

4–जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर तैनाती प्रतिनियुक्ति द्वारा या सुसंगत सेवानियमावली गठित कर उसके प्राविधानों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है।

राजीव चन्द्र,
सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

03 मार्च, 2010 ई०

संख्या 51/ix/12/08/2010–अधिसूचना संख्या–273/ix/12/2009–10, दिनांक 06–07–2009 को अतिक्रमित करते हुये मोटरयान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59, वर्ष 1988) की धारा 215 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य के लिये निम्नवत् राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् को दिनांक 19–01–2010 से पुनर्गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–	मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड	पदेन अध्यक्ष
2–	सरदार संत सिंह	उपाध्यक्ष
3–	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव
4–	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5–	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6–	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7–	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8–	मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड	सदस्य
9–	मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड	सदस्य
10–	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य
11–	पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल जोन	सदस्य
12–	पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ जोन	सदस्य

परिषद् के उपाध्यक्ष को गोपन (मंत्रि परिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–26/1/xxi/2009, दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 में उल्लिखित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
सचिव।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

(विधायी प्रकोष्ठ)

आदेश

26 फरवरी, 2010 ई०

संख्या 47/XXXVI(6)/2009–उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में विधियों के पुनर्परिसीमन के दृष्टिकोण से शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 443/XXXVI(6)/2009, दिनांक 30 नवम्बर, 2009 द्वारा उत्तराखण्ड विधि परिसीमन आयोग (एकल सदस्यीय) का गठन किया गया है।

उक्त आयोग के कार्यकाल, कार्यक्षेत्र के संबंध मे श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् आदेश दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–उत्तराखण्ड विधि परिसीमन आयोग का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छः माह के लिए होगा और अपनी समस्त संस्तुतियां राज्य सरकार को इस अवधि पर उपलब्ध करा देगा।

2–आयोग राज्य गठन की तारीख 09 नवम्बर, 2000 से पूर्व की समस्त विधियां जो कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत है तथा विधि का बल रखती हैं, जिनमें अधिनियमितियां, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखित सम्मिलित है, पर संशोधन, निरसन अथवा नई विधियां बनाने के संबंध मे अपनी संस्तुतियां देगा।

3 आयोग राज्य विधियों में व्याप्त अस्पष्टता और विसंगतियों को दूर करने के सुझाव भी देगा।

आज्ञा से,

आर० पी० फुलोरिया,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 13 हिन्दी गजट/150–भाग 1–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या- यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मार्च, 2010 ई0 (चैत्र 06, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 25, 2010

No. 236/XIV-30/Admin.A/2008--Sri Manmohan Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi, is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 06.01.2010 to 20.01.2010.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

March 06, 2010

No. 237/UHC/Admin.A/2010--Pursuant to the Government Notification No. 45/XXXVI(1)(Ek)/2010-19/2000, dated 25.02.2010, issued in exercise of the powers vested U/S 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Uttar Pradesh Act No. 1 of 1904) read with Section 5(2) of U.P. Gangsters & Anti-social Activities (Prevention) Act, 1986 (Uttar Pradesh Act No. 7 of 1986), Sri Malik Mazhar Sultan, Addl. District & Sessions Judge/5th F.T.C., Dehradun is conferred powers to preside over the Special Court at Dehradun, constituted under U.P. Gangsters & Anti-social Activities (Prevention) Act, 1986, in addition to his duties.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General.

March 08, 2010

No. 238/XIV-29/Admin.A/2008--Sri Neeraj Kumar Bakshi, the then Judicial Magistrate, Haldwani, Distt. Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 26.05.2009 to 06.06.2009 with permission to suffix 07.06.2009 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

March 08, 2010

No. 239/UHC/Admin.A/2010–Pursuant to the Government Notification No. 42/XXXVI(1)(Ek)/2010-9-Bha.Sa./2001, dated 25.02.2010, issued in exercise of powers vested U/S 36 of N.D.P.S. Act, 1985, Sri Harish Kumar Goel, Addl. District & Sessions Judge/IVth F.T.C., Hardwar is conferred powers to preside over the Special Court at Hardwar, constituted under N.D.P.S. Act, 1985, in addition to his duties.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

RAVINDRA MAITHANI,

Registrar General.

March 16, 2010

No. 240/XIV-25/Admin.A/2008–Ms. Savita Chamoli, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal, is hereby sanctioned earned leave for 31 days *w.e.f.* 04.02.2010 to 06.03.2010 with permission to suffix 07.03.2010 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/150–भाग 1–क–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मार्च, 2010 ई0 (चैत्र 06, 1932 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110 001

आदेश

08 मार्च, 2010 ई0

संख्या 76 / उत्तराखण्ड–लो0स0 / 2009–यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मई, 2009 में उत्तराखण्ड राज्य से हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) तद्नुरूपी विनिर्दिष्ट निर्वाचन–क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यर्थी, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10–क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्र0सं0	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन–क्षेत्र की क्र0सं0 और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तराखण्ड राज्य से लोक सभा, 2009 के लिए साधारण निर्वाचन	5–हरिद्वार	आसिफ खान, राजीव जुयाल मार्ग, रोचीपुरा, निरंजनपुर, डाकखाना माजरा, जिला देहरादून	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे

1	2	3	4	5
2.	उत्तराखण्ड राज्य से लोक सभा, 2009 के लिए साधारण निर्वाचन	5–हरिद्वार	रियासत अली ग्राम–लामग्रन्ट, तहसील–रुड़की, जिला–हरिद्वार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे
3.	यथा	5–हरिद्वार	अब्बास, ग्राम सेलमपुर मेहदद, तहसील व जिला हरिद्वार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे
4.	यथा	5–हरिद्वार	शाहिदा बेगम, 361, शास्त्री नगर, बसन्त विहार, देहरादून	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे
5.	यथा	5–हरिद्वार	पं0 शिवम महाराज, मकान नं0 30/2, मो0–कायस्थान, मंगलौर, जिला–हरिद्वार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे
6	यथा	5–हरिद्वार	संजय, मकान नं0 38, टिबडी, बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे

आदेश से,

शंगारा राम,
प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव एव मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi–110 001

ORDER

March 08, 2010

No. 76/UK-HP/2009-WHEREAS, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Lok Sabha of Uttarakhand held in May, 2009 as specified in column (2) and held from constituencies correspondingly specified in column (3) against their names have failed to lodge account of their election expenses, as shown in column (5) of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951, and to Rules made here under.

AND, WHEREAS, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure.

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl No	Particulars of Election	No and Name of Assembly Constituency	Name and address of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1	General Election to the Parliamentary Constituency of Uttarakhand	5 Hardwar	Asif Khan Rajiv Juyal Marg, Rochipura, Niranjanpur Post Mazra, District Dehradun	Failure to lodge account of election expenses
2	General Election to the Parliamentary Constituency of Uttarakhand	5 Hardwar	Riyasat Ali, Village Lamgrunt, Tehsil Roorkee, District Hardwar	–do–
3	General Election to the Parliamentary Constituency of Uttarakhand	5 Hardwar	Abbas Village Salempur Tehsil & District Hardwar	-do–
4	General Election to the Parliamentary Constituency of Uttarakhand	5 Hardwar	Sahida Begam 361, Shastri Nagar, Basant Vihar, Dehradun	–do–
5	General Election to the Parliamentary Constituency of Uttarakhand	5 Hardwar	Pt Shivam Maharaj House No 30/2, Moh Kayasthan Manglore, District Hardwar	-do–
6	General Election to the Parliamentary Constituency of Uttarakhand	5 Hardwar	Sanjay, House No 38, Tibri, BHEL, Hardwar	–do–

By Order

SHANGARA RAM,
Principal Secretary,
Election Commission of India

By Order

RADHA RATURI,
Secretary & Chief Election Officer,
Uttarakhand

पी०एस०यू० (आर०ई०) 13 हिन्दी गजट/150–भाग 7–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मार्च, 2010 ई0 (चैत्र 06, 1932 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

15 मार्च, 2010 ई0

पत्रांक 2065 / 5–कर अनु0 / 10–नगरपालिका परिषद्, रामनगर, जिला नैनीताल में अपने प्रस्ताव संख्या–04, दिनाक 20–01–2010 द्वारा नगरपालिका परिषद् की सीमान्तर्गत विज्ञप्ति सख्या 1399 / 23–14(6), दिनाक 06 अगस्त 1964 एव सख्या–943 / 23–6, 05 जून, 1976 तथा 7552 / तेईस–4 (85–86), दिनाक 08 12–1986 तथा सख्या–3689 / 5 कर अनु0 / 04 05, दिनाक 17–10–2004 से स्वीकृत म्यु0 एक्ट, 1916 की धारा–293 तथा 298 लिस्ट एक ई (वी) तथा जे0 (डी0) के अन्तर्गत तहबाजारी दरो में निम्नवत् सशोधन किया गया है, जिसकी पुष्टि बोर्ड बैठक, दिनाक 25–02–2010 के विशेष प्रस्ताव सं0–2 के द्वारा कर दी गयी है।

अतः उक्त एक्ट की धारा -301 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

क0स0	तहबाजारी की वर्तमान प्रचलित दर प्रातादन		क0स0	तहबाजारी की संशोधित दर प्रातादन	
1	खोमचा	– 2.00 रु0	1	खोमचा	– 5.00 रु0
2	बिक्री के लिए घोड़े, खच्चर तथा भैस, गाय, बैल, बछडे प्रति रास	– 3.00 रु0	2	बिक्री के लिए घोडे, खच्चर तथा भैस, गाय, बैल, बछडे प्रति रास	– 5.00 रु0
3	बारबर (हज्जाम) प्रति फड	– 2.00 रु0	3	बारबर (हज्जाम) प्रति फड	5.00 रु0
4	मोची, लोहार प्रति फड़	– 2.00 रु0	4	मोची, लोहार प्रति फड	– 5.00 रु0
5	पहियो पर चलने वाले स्टाल (ठेले)	– 3.00 रु0	5	पहियों पर चलने वाले स्टाल (ठेले)	– 5.00 रु0

नोट–तहबाजारी की अन्य मदों की दरें पूर्ववत् रहेंगी।

फईम खाँ,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, रामनगर।

मौहम्मद अकरम,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, रामनगर।

कार्यालय, नगर निगम, देहरादून

23 मार्च, 2010 ई0

पत्रांक 83/पी0ए0/2010 नगर निगम अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 172, उपधारा (2), खण्ड (ज) मे उल्लिखित विज्ञापनो पर अधिनियम की धारा 192 के अनुसार कर का आरोपण के पश्चात् धारा 193 एव 305 के अन्तर्गत मुख्य नगर अधिकारी महोदय की लिखित अनुमति पर नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापन स्थापित/प्रदर्शित करने हेतु उनके विनिमय एव नियत्रण हेतु धारा 306 के अनुरूप एव नगर निगम अधिनियम की धारा 541 के अनुरूप नगर निगम के क्षेत्र के अन्तर्गत निगम द्वारा उपविधि तैयार किये जाने का प्राविधान है। अत नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापन स्थापित/प्रदर्शित करने हेतु निम्नानुसार उपविधि स्वीकार की जाती है -

परिभाषा

1 अधिनियम अथवा एक्ट से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 एव उत्तराखण्ड अनुकूलन एव उपान्तरण अध्यादेश, 2002 से है।

2 उपविधि मे प्रयुक्त शब्दो की परिभाषा उपरोक्त अधिनियम मे वर्णित परिभाषा से है।

विज्ञापन शुल्क हेतु उपविधियां

1 -स्वीकृत स्थान (प्रान्तीय मार्ग) राजपुर रोड–

1 पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय से युक्लीपट्स रोड बस शेल्टर तक दाहिनी ओर अधिकतम 12 यूनीपोल/होर्डिंग।

2 -सी0डी0ए0 ऑफिस के सामने दाहिनी ओर 15 यूनिपोल/होर्डिंग।

3 सर्वे स्टेट से जाखन तक बायीं ओर ब्लाइड स्कूल की ओर 20 यूनिपोल/होर्डिंग।

4 -मसूरी डायवर्जन रोड पर पुल के पास दाहिनी ओर 3 यूनिपोल/होर्डिंग।

चकरोता रोड (घटाघर से बल्लूपुर चौक)–

1–बिंदाल पुल के पास 2 यूनिपोल एवं कैन्ट सीमा पर दाहिनी ओर 3 होर्डिंग/यूनिपोल।

2 बिंदाल पुल के पश्चात् एम0ई0एस0 कम्पाउण्ड के सामने 5 होर्डिंग/यूनिपोल।

3 दून स्कूल की दीवार के साथ 20 होर्डिंग/यूनिपोल।

4 –आकाशदीप कॉलोनी से श्री देव सुमन नगर पुल तक दाहिनी ओर 7 होर्डिंग/यूनिपोल।

5 ओ0एन0जी0सी0 अस्पताल सडक से जल निगम स्टोर के सामने दाहिनी ओर 10 होर्डिंग/यूनिपोल।

गाधी रोड (घटाघर से प्रिंस चौक)

1 तहसील चौक पर लगे 2 होर्डिंग पी0डब्लू0डी0 गोदाम की दीवार के साथ।

2 रोडवेज बस अड्डे के सामने 12 होर्डिंग/यूनिपोल सडक के समानान्तर।

सहारनपुर रोड–

1–पटेल नगर में होटल मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट् से लालपुल तक 12 होर्डिंग/यूनिपोल।

हरिद्वार रोड

सुभाष रोड से पुलिस चौकी, आराघर तक व आराघर से शास्त्रीनगर तक 12 होर्डिंग/यूनिपोल।

जनरल महादेव सिंह रोड

1–बल्लुपुर चौक से सब्जीमण्डी तक 20 होर्डिंग/यूनिपोल।

बाईपास रोड

1 आई0एस0बी0टी0 से मीनाक्षी वैडिंग प्वाईंट तक 30 होर्डिंग/यूनिपोल।

ई0सी0 रोड--

1--नैनीज बेकरी से आराघर	--10 होर्डिंग/यूनिपोल।
2-रायपुर रोड	--10 होर्डिंग/यूनिपोल।
3--सहस्त्रधारा रोड	--20 होर्डिंग/यूनिपोल।
4--रेसकोर्स	--10 होर्डिंग/यूनिपोल।
5--रैस्टकैम्प	--5 होर्डिंग/यूनिपोल।
6-मसूरी डायवर्जन से राजपुर तक	--10 होर्डिंग/यूनिपोल।
7--लालपुल से सुभाषनगर तक	--30 होर्डिंग/यूनिपोल।

2--होर्डिंग/यूनिपोल स्थल के अनुसार सडक के समानान्तर लगाये जायेंगे। छोटे यूनिपोल पैडिट सर्फेस से 2 मी0 की दूरी पर 5×3 फिट व सडक से 8 फुट ऊचाई पर होगे। राजपुर रोड पर यूनिपोल के बीच कम से कम 30 फिट की दूरी होगी।

3 यूनिपोल/होर्डिंग सड़क से समानान्तर लगाये जायेगे जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सडक दुर्घटना को न होने देने के उद्देश्य से जहा आवश्यकता होगी वहा से इन यूनिपोल्स/होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पडने पर सडक के समानान्तर लगाने के निर्देश भी दिये जा सकते हैं।

4--होर्डिंग/यूनिपोल का अधिकतम साइज 20×10 फिट होगा।

5 होर्डिंग/यूनिपोल सड़क की पेडिट सर्फेस से न्यूनतम 02 मीटर दूरी पर लगाये जायें।

6--होर्डिंग/यूनिपोल की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिए जिससे आंधी आदि में न गिरे। अतः इनकी सरचना के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर इन्जीनियर से रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

7 चौराहों व मोडो पर 25-25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।

8 प्रत्येक होर्डिंग के सम्बन्ध मे सडकवार एक यूनीक कोड नम्बर तय किया जायेगा जिसके विवरण मे उस होर्डिंग का प्रकार, प्रकार होर्डिंग, विज्ञापन एजेन्सी का नाम, लगाने का स्थान स्वीकृति तिथि, रसीद नम्बर व उस होर्डिंग का सडक से एगल भी वर्णित किया जायेगा।

9--नगर निगम सीमा में विज्ञापन पट लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सियां द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट लगाने से पूर्व निगम कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस प्रकार केवल पजीकृत एजेन्सियों को ही विज्ञापन पट लगाये जाने की निगम कार्यालय द्वारा अनुमति दी जायेगी। पजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 मार्च से 31 मार्च तक किया जायेगा।

10--नगर निगम मे वही विज्ञापन एजेन्सी पजीकृत की जायेगी जिसका प्रोपराईटर उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होगा। आवेदन पत्र के साथ स्थायी निवास पत्र की छाया प्रति सलग्न करनी होगी जो कम्पनिया उत्तराखण्ड से बाहर की वर्तमान में पजीकृत हैं वो स्थानीय एक व्यक्ति को मैनेजमेन्ट में लेकर काम कर सकती हैं नगर निगम, देहरादून मे विज्ञापन एजेन्सियों को पजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पजीकरण राशि रु0 30,000/-- (रुपये तीस हजार) निगम कोष मे जमा करानी होगी। तत्पश्चात पजीकृत एजेन्सी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु रु0 10,000/-- (रुपये दस हजार) की धनराशि नवीनीकरण के रूप में नगर निगम कोष में जमा करायेगा।

11--निगम सीमा मे लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टो/पोल क्योस्क का न्यूनतम शुल्क प्रति वर्ग फिट की दर से आगणित किया जायेगा। शुल्क निम्नानुसार होगा। प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् शुल्क मे 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी अथवा निम्न शुल्क को न्यूनतम मानते हुए प्रत्येक होर्डिंग्स की सार्वजनिक नीलामी करायी जायेगी।

(1)	राजपुर रोड	रु0 160/– प्रति वर्ग फिट।
(2)	चकरोता रोड	रु0 120/– प्रति वर्ग फिट।
(3)	गांधी रोड	रु0 120/– प्रति वर्ग फिट।
(4)	हरिद्वार रोड	रु0 120/– प्रति वर्ग फिट।
(5)	सहारनपुर रोड	रु0 120/– प्रति वर्ग फिट।
(6)	हरिद्वार बाईपास रोड/जी0एम0एस0 रोड	रु0 120/– प्रति वर्ग फिट।
(7)	ई0सी0 रोड	रु0 120/– प्रति वर्ग फिट।
(8)	आन्तरिक मार्ग/मौहल्ला	रु0 50/– प्रति वर्ग फिट।
(9)	इन्डिकेटर बोर्ड/पोल कियोस्क	रु0 1500/– पोल कियोस्क।
(10)	दुकानों/भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड	रु0 80/– प्रति वर्ग फिट।
(11)	दुकानों/भवनों पर लगे साइन बोर्ड	रु0 75/– प्रति वर्ग फिट।
(12)	फ्लाईओवर कॉलम 10 × 20 फीट	रु0 100/– प्रति वर्ग फिट।
(13)	पुल के कॉलम 10 × 20 फीट	रु0 100/– प्रति वर्ग फिट।
(14)	प्रोटेक्शन स्क्रीन/नाला कल्वर्ट 8 × 30 फीट	रु0 140/– प्रति वर्ग फिट।
(15)	निजि बस/पब्लिक बस एडवर्डटाइजिंग 4 × 15 फीट (दोनों साईड) बैक साईड 3 × 3 फीट	रु0 100/– प्रति वर्ग फिट। रु0 600/– प्रति वर्ष।
(16)	डिलिवरी वाहन/सर्विस वाहन/टैक्सी	
(17)	डिमोस्टेशन वाहन 200/–प्रति दिन	
(18)	बिल्डिंग रैप 80 × 20 फीट अधिकतम	रु0 150/– प्रति वर्ग फिट।
(19)	पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3 × 5 फीट	रु0 60/– प्रति वर्ग फिट।
(20)	टी–गार्ड 1.5 × 1.5 फीट	रु0 25/– प्रति वर्ग फिट।
(21)	ट्रैफिक बैरीकेटिंग	रु0 200/– प्रति बैरीकेटिंग।
(22)	ट्राफिक पास्ट के ऊपर कियास्क 2 × 3 फीट	रु0 160/– प्रति वर्ग फिट।
(23)	सार्वजनिक शौचालय दो साईड वॉल 8 × 10 फीट	रु0 150/– प्रति वर्ग फिट।
(24)	डस्टबिन/कूड़ाघर	रु0 20/– प्रति वर्ग फिट।
(25)	रोड डिवाईडर पर यूनिपोल गैन्ट्री 40 × 8 फीट	रु0 200/– प्रति वर्ग फिट।
(26)	लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार	रु0 200/– प्रति दिन।
(27)	इवेन्ट एण्ड एक्जीविसन/मेला एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए	रु0 10,000/– रु0 1000/– प्रति दिन।
(28)	स्थानीय केवल नेटवर्क पर प्रसारित विज्ञापनों पर शुल्क	रु0 60,000/– वार्षिक।
(29)	बस शैल्टर 26 × 5 फीट	रु0 80/– प्रति वर्ग फिट।

12–निम्नांकित क्षेत्रों को विज्ञापन की दृष्टि से विज्ञापन पट प्रतिबन्धित रहेगा :–

(अ) घंटाघर से सेन्ट जोजफ एकेडमी तक मार्ग के दोनों ओर।

(ब) घंटाघर से दर्शन लाल चौक मार्ग के दोनों ओर।

(स) घंटाघर से बिंदाल पुल तक मार्ग के दोनों ओर।

(द) सहारनपुर रोड चौक से 200 मीटर चारों ओर दिशाओं के मार्ग पर दोनों ओर।

(र) दर्शन लाल चौक के 100 मीटर चारों ओर के मार्गों पर दोनों ओर।

(न) एम0के0पी0 कालेज (अमृतकौर रोड) के 50 मीटर दोनों ओर मार्ग पर।

(ल) घंटाघर से बुद्धा चौक, परेड ग्राउण्ड के चारों ओर, प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक से सी0एम0आई0 एवं सर्वे चौक पर विज्ञापन पट प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

13–गांधी पार्क (राजपुर रोड) पटेल पार्क (राजपुर रोड) एवं दीन दयाल पं0 पार्क (गांधी रोड) कनक चौक स्थित पार्कों के मध्य एवं पार्कों के चारों ओर प्रतिबन्ध रहेगा। साथ ही घण्टाघर पार्क के चारों ओर विज्ञापन पट एवं बैनर लगाना पूर्ण रूप से पूर्व की भांति प्रबन्धित (सौन्दर्यकरण के कारण) रहेगा। नगर निगम कार्यालय परिसरों के चारों ओर होर्डिंग/बैनर प्रतिबन्धित रहेगा।

14–नगर निगम सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किये जाने वाले ग्लोसाइन/साइन बोर्ड जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे में उल्लेख हो। जन साधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता हो, के विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी। वसूली का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

15–विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा। एक माह तक शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेंसी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

16–इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड जहां दोनों ओर विज्ञापन लिखे होंगे वहां निर्धारित शुल्क दुगने हो जायेंगे। इन्डिकेटर बोर्ड का साइज 5 × 3 फीट का होगा।

17–विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या नकद के रूप में ही जमा किया जायेगा।

18–निजी भवनों की छतों पर विज्ञापन पट पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

19–प्रत्येक तिराहे एवं चौराहें में जहां कि समय–समय पर विज्ञापन पट एकदम रास्ते के किनारे लगाने से एक दूसरे के अगल–बगल से आने वाले वाहनों को एक दूसरे का दिखना में कठिनाई होता है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। इन चौराहों एवं तिराहों में केन्द्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट लगाने में प्रतिबन्ध रहेगा।

20–पोल कियोस्क का साइज 2.5 × 3.5 फिट होगा।

21–सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे–शराब, तम्बाकू, धूम्रपान एवं अश्लील, जाति सूचक, धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद, हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

22–किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत विज्ञापन पट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त के लिए कर अधीक्षक स्वीकृत होर्डिंग का सत्यापन नियमित रूप से प्रति माह करेंगे।

23–विज्ञापन की स्वीकृति अधिकतम दो वर्ष के लिए दी जायेगी।

24–जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट हटा दिया जायेगा, जिस पर कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

25–यूनियन रोड कांग्रेस द्वारा रोड शाइन (आई0 आर0 सी0) 67–2001 में निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पटों के लिए अनुमन्य होगा। विज्ञापन पटों में प्रयोग किये जाने वाले रंग एवं फौन्ड साइज ऑफिशियल ट्रैफिक साइन के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होंगे।

26–विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल का आवंटन निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों से प्रति विज्ञापन पट्ट सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा। निविदाएं मुख्य नगर अधिकारी महोदय अथवा उनके द्वारा गठित समिति के द्वारा मांगी जायेगी उनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

27–रोड पटरी, निजि भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगने पर विज्ञापन एजेंसी/भवन स्वामी से रु0 25,000/– जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

28–उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी में निहित होगा।

29–जनहित में नगर निगम में पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किये जायेंगे उन पर सुन्दर दून, स्वच्छ दून, हरा दून का स्लोगन प्रदर्शित किये जायेंगे।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 541(3) के अनुरूप मुख्य नगर अधिकारी की लिखित अनुमति से नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत बाईसाईकिल के पंजीकरण एवं संचालन हेतु उपविधि तैयार किये जाने का प्राविधान है। अतः नगर निगम सीमान्तर्गत बाईसाईकिल के पंजीकरण एवं संचालन हेतु निम्नानुसार उपविधि स्वीकार की जाती है :–

परिभाषा–

1–अधिनियम अथवा एक्ट से तात्पर्य उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण अध्यादेश 2002 से है।

2–बाईसाइकिल से तात्पर्य वह वाहन जो दोपहिया बिना इंजन के चलने वाली हो, साइकिल की उंचाई 18 इंच से अधिक की हो।

3–टोकन से तात्पर्य स्टील की प्लेट जिस पर पंजीकरण की संख्या एवं वर्ष अंकित होगा।

उपविधि–

1–यह कि नगर निगम सीमान्तर्गत आवासित प्रत्येक व्यक्ति जो साईकिल क्रय करेगा, क्रय करने की तिथि से 15 दिन के भीतर नगर निगम देहरादून के मुख्य नगर अधिकारी को पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा। इस आवेदन पत्र में आवेदनकर्ता का नाम, पता, साईकिल का फ्रेम एवं उसका पूर्ण विवरण क्रय किये गये दुकान का नाम व पता के साथ अंकित होगा।

2–यह कि पंजीकरण शुल्क रु0 10/– प्रति साईकिल होगा। साईकिल पर लगाये जाने वाले टोकन जिसमें निगम द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या/पंजीकरण का वर्ष अंकित होगा, का शुल्क रु0 25/– प्रति टोकन होगा।

3–यह कि अधिकृत साईकिल विक्रेता (दुकानदार) नगर निगम, देहरादून में अपना पंजीकरण करायेगा जिसका शुल्क रु0 100/– वार्षिक होगा। वह अपनी दुकान पर निगम द्वारा पंजीकृत का बोर्ड भी लगायेगा। इसके अतिरिक्त वह साईकिल पंजीकरण का रजिस्टर रखेगा, जिसमें खरीदने वाले का नाम एवं पता आदि का विवरण अंकित होगा। अधिकृत विक्रेता (दुकानदार) पंजीकरण फार्म निगम से प्राप्त करेगा। साईकिल के विक्रय के समय उसे क्रेता से भरवाकर अपने यहां रु0 10/– पंजीकरण शुल्क के साथ जमा करेगा तथा रु0 10/– पंजीकरण की रसीद क्रेता को उपलब्ध करायेगा। अधिकृत विक्रेता (दुकानदार) रु0 5/– प्रति साईकिल की दर से धनराशि निगम कोष में जमा करायेगा। अधिकृत विक्रेता (दुकानदार) का दायित्व होगा कि टोकन साईकिल पर लगाया जाये। अधिकृत विक्रेता दुकानदार प्रत्येक माह लिखित रूप से निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विक्रय की गयी साईकिलों का विवरण अंकित कर निर्धारित प्रारूप पर निगम को उपलब्ध करायेगा। साथ में प्रस्तुत निर्धारित प्रारूप के सत्यापन हेतु पंजीकरण पंजिका भी निगम में प्रस्तुत करेगा।

4–यह कि प्रत्येक व्यक्ति जो निगम में पंजीकृत साईकिल किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करेगा, विक्रय करने की तिथि से 15 दिन के भीतर निगम के मुख्य नगर अधिकारी को क्रेता के नाम व पता का विवरण देते हुए बेचे जाने की सूचना देगा।

5–यह कि साईकिल का विक्रय केवल नगर निगम द्वारा पंजीकृत फर्मों/दुकानों से ही सम्पादित किया जायेगा।

6–यह कि यदि टोकन खो जाता है तो रु0 25/– शुल्क जमा कर नया टोकन पुनः प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

7–यह कि मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत निगम द्वारा अधिकृत साईकिल की दुकानों/फर्मों का औचक निरीक्षण करने हेतु स्वतंत्र होगा।

8–यह कि पंजीकरण अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप नगर अधिकारी/सहायक नगर अधिकारी/कर अधीक्षक के नीचे का नहीं होगा।

9–यह कि यदि निगम सीमान्तर्गत उपविधि लागू होने की तिथि के उपरान्त कोई साईकिल/साईकिल की दुकानें अपंजीकृत पायी जाती हैं तो पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त निगम द्वारा रु0 500/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

उपविधि

नगर निगम, देहरादून उ0प्र0/उत्तराखण्ड, नगर निगम अधिनियम की धारा 541 की उप धारा 40 के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून की सीमान्तर्गत नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में ज्वलनशील वस्तुएं एकत्रित करना और आग जलाने को विनियमित और प्रतिसिद्ध करना के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी हेतु अनुज्ञा पत्र की नियम एवं शर्तें तथा उनके लिये शुल्क निर्धारित करना।

निम्न शर्तों के अधीन उपरोक्त हेतु अनुज्ञाप पत्र जारी होंगे :–

1–कोई भी व्यक्ति/फर्म निगम क्षेत्र में बिना निगम से अनुमति प्राप्त किये पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम या गैस एजेन्सी स्थापित नहीं करेगा।

2–रास्ते/सड़कों के संयोजन स्थान पर या उनके सामने उपरोक्त कार्य हेतु अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

3–अनुज्ञप्ति हेतु निम्नानुसार शुल्क देय होगा :–

पेट्रोल पम्प–पंजीकरण शल्क– रु0 5000/–

नवीनीकरण शुल्क– रु0 500/–

गैस एजेन्सी–पंजीकरण शुल्क– रु0 1000/–

नवीनीकरण शुल्क– रु0 250/–

अनुज्ञप्ति अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाये जायें, उनकी अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाये।

उपरोक्त अनुज्ञप्ति न प्राप्त किये जाने की दशा में एजेन्सी मालिकों के विरुद्ध उपविधि के उल्लंघन में रु0 10000/– अर्थदण्ड देना होगा।

एन0 के0 जोशी,
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/150–भाग 8–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।